न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2013

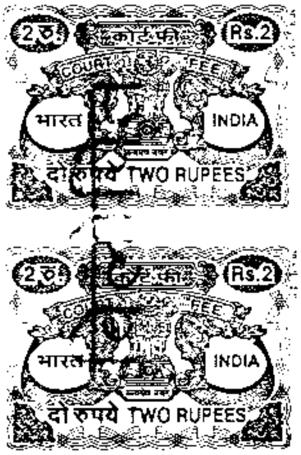

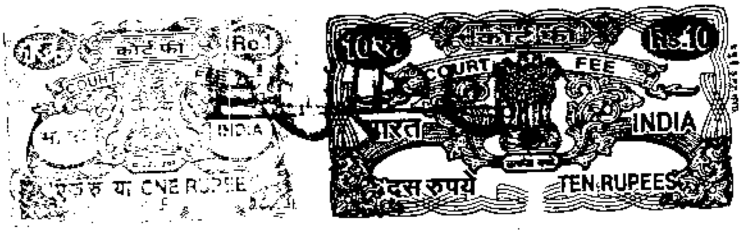

रिव्यू 3918-II/13

विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह तनय तिलकधारी सिंह निवासी ग्राम जमोड़ी,
तहसील गोपदबनास जिला सीधी म०प्र० ------- पुनर्विलोकनकर्ता

बनाम

म०प्र० विद्युत मण्डल रामपुर शहर जबलपुर द्वारा कार्यपालन यंत्री:
संधारण/ संधारण संभाग सीधी जिला सीधी म०प्र०

---- गैरपुनर्विलोकनकर्ता

... गोयल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 3918–दो/2013 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-06-2014	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0अवस्थी उपस्थित। उन्हें रिव्यु की ग्राह्यता पर सुना । प्रकरण रिव्यु की ग्राह्यता पर आदेशार्थ । प्रशासकीय सदस्य	
12-06-2014	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 860–तीन/2011 में पारित आदेश दिनांक 3–12–2012 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । प्रशासकीय सदस्य	